2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज ललित गुप्ता बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 152/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.11.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ललित गुप्ता पुत्र महेन्द्र गुप्ता निवासी शम्भू भवन, फतेहसागर जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक ...... में उसके द्वारा (1) भगवतीलाल पुत्र परमानन्द ग्राम जोधपुर खसरा संख्या 775/83 की पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्र.सं. 1667/85 पट्टा सं. 464 दिनांक 13.01.1986 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (भू.रू.), से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1436 दिनांक 18/20.10.17 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 1448 दिनांक 17.10.17 द्वारा सूचित किया चुका है कि आवेदन पत्र में मुकदमा/प्रकरण संख्या, फैसला दिनांक इत्यादि विवरण का उल्लेख नहीं किया गया, जिसके अभाव में सूचना दिया जाना संभव नहीं है। चूंकि संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है अतः अपीलार्थी उस अनुसार कार्यवाही कर अपनी सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही करें। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदश सुनाया गया।	